दि सारस्वत खत्री पाठशाला सोसायटी, इलाहाबाद का संशोधित संविधान –२००१

अध्याय–१

१– सोसायटी का नाम "सारिस्वत खत्री पाठशाला, इलाहाबाद" होगा।

२– सोसायटी के उद्देश्य संगम–ज्ञापन (मिमोरंडम ऑफ एसोसिएशन) की धारा २ में अधिकथित रूप में होंगे।

३– सोसायटी के निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो पहले ही सोसायटी का आजीवन सदस्य बन गया है और सारस्वत तथा खत्री समुदायों का ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सोसायटी के किसी एक अथवा अधिक उद्देश्यों के लिए सोसायटी को इसके पश्चात् ५००० रु० या इससे अधिक का एकमुश्त दान देता है, आजीवन सदस्य कहलाएगा। परन्तु कोई ऐसा व्यक्ति भी, जो प्रारम्भ में २००० रु० की राशि और शेष ३००० रु० की राशि का दो या तीन किश्तों में एक वर्ष के भीतर भुगतान कर देता है, अंतिम किश्त के भुगतान की तारीख से आजीवन सदस्य बन जाएगा।

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सोसायटी को १००० रु० का चन्दा देता है, सोसायटी को १००० रु० का भुगतान करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए सोसायटी का साधारण सदस्य बन जाएगा। परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने वयस्कता प्राप्त न कर ली है और जो सारस्वत अथवा खत्री समुदाय का नहीं है, सोसायटी का सदस्य नहीं होगा।

(ग) हकीम राम चन्द्र अरोड़ा के कुटुम्ब से दो व्यक्ति, जो हकीम राम चन्द्र अरोड़ा छात्रवृत्ति समिति के सदस्य हैं, अपनी पदावधि के दौरान, सदस्य बने रहेंगे।

४– (i) उपर्युक्त नियम ३ (क) और (ख) के अन्तर्गत किसी सदस्य के नामांकन के लिए कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन अपेक्षित होगा और जब तक ऐसा अनुमोदन नहीं हो जाता तब तक उक्त व्यक्ति को सदस्य नहीं माना जाएगा। अपना अनुमोदन देने से इन्कार करने पर समिति से इसका कारण बताने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) कार्यकारिणी समिति, बिना कारण बताए, किसी भी समय सोसायटी के सदस्यों की नामावली से समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत से, नियम ३ (क) और (ख) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के फिर सदस्य को हटा सकेगी।

५– ऐसा कोई व्यक्ति, जो न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए, जिसमें बेईमानी या नैतिक अधमता अंतर्वलि है, दोषसिद्ध ठहराया गया है अथवा अनुन्मोचित दिवालिया है, कार्यकारिणी समिति की सदस्यता का पात्र नहीं होग

६– (i) (क) सोसायटी के कार्यकलाप का प्रबन्ध १५ सदस्यों से बनी कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा तथा एक तिह सदस्य प्रतिवर्ष निवृत्त हो जायेंगे।

(ख) सोसायटी द्वारा चलाई जा रही प्रत्येक संस्था का प्रबन्धक, कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक का स्थायी आमन्त्रिती होगा।

(ii) (क) कार्यकारिणी समिति के सदस्य, सोसायटी की साधारण बैठक में, उसके सदस्यों में से तीन वर्ष की अवधि लिए धारा ६ (iv) में वर्णित रीति के अनुसार निर्वाचित किये जायेंगे।

(ख) निवृत्त होने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित किया जा सकता है।

सत्य प्रतिलिपि

(iii) सोसायटी द्वारा चलाई जा रही प्रत्येक संस्था की प्रबन्ध समिति का चुनाव, कार्यकारिणी समिति द्वारा उस प्रयोजन के लिए आयोजित बैठक में किया जाएगा। प्रबन्ध समिति की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(iv) प्रबन्ध समिति या कार्यकारिणी समिति की सभी रिक्तियाँ जिसमें त्यागपत्र, अकल्पित परिस्थितियों के कारण या अन्यथा सम्मलित है, यथास्थिति, कार्यकारणी समिति अथवा कार्यकारिणी समिति के शेष सदस्यों द्वारा अपने बहुमत के आधार पर भरी जायेगी।

७– कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे :–

(क) अध्यक्ष (ख) उपाध्यक्ष

(ग) सचिव (घ) सहायक सचिव, और

(ङ) कोषाध्यक्ष

८– (i) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, अपने में से किया जाएगा और अपने उत्तराधिकारियों का नामांकन होने तक वे पद धारण करेंगे।

(ii) उपाध्यक्ष और सहायक सचिव की शक्तियाँ और कर्त्तव्य, कार्यकारिणी समिति द्वारा अवधारित किए जायेंगे।

९– सोसायटी, अपने संरक्षक (पेट्रन) अथवा विशेष आमंत्रिती बनने के लिए, अधिकतम पाँच उपयुक्त व्यक्तियों से समय–समय पर सम्पर्क कर सकती है।

अध्याय–२

बैठकें

१०– सोसायटी की वार्षिक साधारण बैठक साधारणतया जुलाई मास में, दो सप्ताह का नोटिस देकर, ऐसी तारीख तथा ऐसे समय और स्थान पर होगी जो कार्यकारिणी समिति अवधारित करे। साधारण बैठक का कार्य सोसायटी की गतिविधियों की रिपोर्ट पढ़ना और सोसायटी के किसी अन्य विचार–विमर्श का संचालन करना होगा। ऐसी बैठकों के लिए गणपूर्ति साधारण सभा के उस समय के सदस्यों की कुल संख्या का १/१० वी संख्या होगी।

११– अध्यक्ष एवं सचिव संयुक्त रूप से सोसायटी की आम सभा की विशेष बैठक बुला सकते है या सोसायटी के तत्समय नामावली के पंचमांश अन्यून सदस्यों द्वारा उन्हें या सचिव को की गई हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर, विशेष बैठक बुलायेंगे। अध्यपेक्षा में उस कार्य का वर्णन होगा जिसके लिए बैठक बुलाए जाने की प्रस्तापना की गई है। सोसायटी की ऐसी बैठक के लिएं नोटिस की अवधि एक सप्ताह से कम न होगी।

१२–(क) सोसायटी की विशेष बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति नामावली के सदस्यों की कुल संख्या का चौथाई होगी।

(ख) यदि किसी बैठक में गणपूर्ति नहीं हो पाती तो वह मुल्तवी हो जाएगी। अध्यक्ष, स्थगित बैठक के लिए तारीख और समय निश्चित करेंगे और स्थगित बैठक का ऐसा नोटिस देगा जो वह उचित समझे। स्थगित बैठक में कारबार के सव्यवहार के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

१३ (क) कार्यकारिणी समिति की बैठक सचिव द्वारा या उनके न रहने पर, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी जो कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को एक सप्ताह का नोटिस देंगे। कार्यकारिणी समिति की बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिये आवश्यक गणपूर्ति पाँच होगी।

(ख) यदि किसी बैठक में गणपूर्ति नहीं हो पाती तो वह मुल्तवी हो जाएगी। अध्यक्ष स्थगित बैठक के लिए तारीख तथा समय निश्चित करेंगे और स्थगित बैठक की ऐसी सूचना देंगे जो वह उचित समझे। स्थगित बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

१४– (क) बैठक के समक्ष रखे गयें प्रत्येक प्रश्न का विनिश्चय बहुमत से होगा। मत बराबर होने की दशा में, बैठक के सभापति का एक निर्णायक मत होगा।

(ख) सोसायटी की विशेष तथा साधारण बैठकों में, खण्ड ३ के उपखंड (क) और (ख) के अंतर्गत केवल ऐसे सदस्य मत देने के हकदार होंगे जो पहले ही सोसायटी के आजीवन सदस्य बन गये है अथवा जिन्होंने क्रमशः ५००० रू० अथवा तीन वर्ष की सदस्यता मद्धे १००० रू० का चंदा ऐसी बैठक की तारीख से पूर्व दे दिया

और उन पर किसी प्रकार का बकाया नहीं है।

(ग) सोसायटी का कोई सदस्य, बैठक की तारीख निश्चित होने के कम से कम एक सप्ताह पूर्व बैठक में विचारार्थ विषय पर अपनी लिखित राय सचिव के पास भेज सकते हैं, जो यदि आवश्यक समझे उसे बैठक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

१५– कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार होगी परन्तु अध्यक्ष की सहमति से और अधिक बैठकें की जा सकती है।

१६– किसी सत्र के दौरान कार्यकारिणी समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की रिक्तियाँ, सोसायटी के नियमानुसार, रिक्त की शेष अवधि के लिए नये निर्वाचन होने तक, शेष सदस्यों द्वारा भरी जाएगी।

अध्याय–३

निधियाँ

१७– सोसायटी के स्थावर और जंगम सभी संपत्तियाँ तत्समय कार्यकारिणी समिति में निहित होंगी जो उसके रख–रखाव, परिरक्षण, अभिरक्षा और व्ययन का सम्यक उपबन्ध करेगी।

१८– सोसायटी के लिए व्युत्पन्न सभी आय और प्राप्त धन का, चाहे किसी भी स्रोत से हो, हिसाब उचित रूप में रखा जायेगा। यदि कोई दाता धन देते समय विशेष इच्छा व्यक्त करता है तो कार्यकारिणी समिति धन का उपयोग वैसी ही रीति से करेगी।

१९–(क) सोसायटी के लिए प्राप्त सभी धन, कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किसी बैंक या पोस्ट आफिस में यथा शीघ्र जमा किया जाएगा और सभी व्यय, उक्त बैंक अथवा पोस्ट आफिस से धन निकाल कर किए जायेंगे। सोसायटी का खाता पोस्ट आफिस या उक्त बैंक में, चाहे सावधि जमा में हो या अन्यथा, सचिव, उपसचिव और कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा चलाया जाएगा। यदि किसी समय उपसचिव, कोषाध्यक्ष और/या सचिव, में से दो व्यक्ति चेक पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ होते हैं तो कार्यकारिणी समिति, उस प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करके, किसी नियत अवधि के लिए, यथास्थिति, अपने एक या दो सदस्यों को चेक पर हस्ताक्षर करने और खाता चलाने के लिए नियुक्त करेगी।

(ख) कार्यकारिणी समिति समय–समय पर फुटकर खर्चों के लिए सचिव के पास धरोहर राशि के रूप में ऐसी राशि नकद रखने की मंजूरी दे सकेगी जितनी वह उचित समझे और समय–समय पर बैंक से निकाल कर उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

२०– कार्यकारिणी समिति समय–समय पर, सोसायटी के धन को सावधि जमा में या बचत बैंक में या पोस्ट आफिस में या सरकारी प्रतिभूति या विधि द्वारा अनुज्ञात अन्य प्रतिभूतियों में सोसायटी के नाम विनिहित कर सकेगी और सचिव, उपसचिव तथा कोषाध्यक्ष, में से किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए और उनके निष्पादन के लिए, उस पर ब्याज लेने के लिए, ऐसी प्रतिभूतियों का नवीकरण अभिप्राप्त करने के लिए या उनका परक्रामण करने या उसको ऐसे निपटाने के लिए, ऐसी रीति से, जैसा कार्यकारिणी समिति विनिश्चित करें, प्राधिकृत होंगे।

२१– कार्यकारिणी समिति, सोसायटी के प्रयोजनों के लिए किसी संपत्ति अधिकार, हक या विशेषाधिकार को, सोसायटी के नाम क्रय करके, पट्टे पर, दान विनिमय द्वारा या अन्यथा, अर्जित करेगी और अध्यक्ष के हस्ताक्षर से उसका अंतरण और व्ययन कर सकेगी। सोसायटी की ओर से की गई सभी संविदाओं पर या तो अध्यक्ष या सचिव द्वारा अपनी पदीय हैसियत में, हस्ताक्षर किए जायेंगे।

२२– सोसायटी और उसके अधीन संस्थाओं की आय और व्यय के लेखों का तिमाही विवरण, कार्यकारिणी समिति की बैठक के समक्ष रखा जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

अध्याय–४

२३– सचिव–

(क) सोसायटी के सदस्यों की नामावली, जिसमें उसके नाम, पते और व्यवसाय दिए गए हों।

(ख) एक स्टाक–बुक यदि आवश्यक हो।

(ग) कार्यकारिणी समिति और सोसायटी की सभी बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख।

(घ) कोई अन्य बही, जिसका रखा जाना कार्यकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित किया जाए, रखेगा और उनका रख–रखाव करेगा।

२४– सचिव, सोसायटी और उसके अंतर्गत चलाई जा रही संस्थाओं के कार्यकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

२५– सचिव, कार्यकारिणी समिति द्वारा, अनुमोदित लेखा परीक्षकों से सोसायटी के लेखाओं को, प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा कराएगा।

२६– कोषाध्यक्ष –

(क) एक कैश–बुक और लेजर, जिसमें प्राप्त आय और उपगत व्यय दर्ज किए जायेंगे।

(ख) एक चंदा और दान बही, रखेगा और उनका रख–रखाव करेगा।

२७– सोसायटी का कोई सदस्य, जो इलाहाबाद में नहीं रहता है, नियोग्य व्यक्ति है या पर्दानशीन महिला है, 'प्राक्सी' के द्वारा सोसायटी के अन्य सदस्य को, जो सोसायटी की किसी बैठक में उपस्थित हो, उस बैठक में उसके स्थान पर, अपनी अनुपस्थिति में, अपनी ओर से वोट देने के लिए नियुक्त कर सकेगा/सकेगी।

२८– कार्यकारिणी समिति का या सोसायटी का कोई पदाधिकारी या सदस्य, सोसायटी द्वारा, उसकी निधि के प्रबन्ध अथवा उपयोजन से हुई क्षति या उस न्याय की संपत्ति को जिसका लाला सदन लाल खन्ना द्वारा ५१–१–१९२२ को निष्पादन और १६–१–१९२२ को रजिस्ट्रीकरण किया गया है, हुए किसी नुकसान के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि ऐसी क्षति, नुकसान या क्षय, उस व्यक्ति, द्वारा की गई जान बूझकर उपेक्षा या व्यतिक्रम या घोर लापरवाही से न हुई हो।

२९– किसी ऐसे आर्थिक दायित्व के, जो या तो सोसायटी द्वारा चलायी जा रही किसी संस्था के किसी शिक्षक या अन्य कर्मचारी की प्रेरणा पर, या एक ओर शिक्षक या स्टाफ के सदस्य और दूसरी ओर संस्था या संबंधित संस्था की प्रबंध समिति के बीच किसी विवाद के बारे में, सरकार अथवा शैक्षिक या अन्य प्राधिकरण की प्रेरणा पर, पैदा हुई हो परिनिर्धारण या भुगतान के लिए न तो सोसायटी और न ही सोसायटी की आस्तिया जिम्मेदार होंगी।

२९– यह खंड ऐसी संस्थाओं को लागू होगा जहाँ वेतन के भुगतान का दायित्व सरकार पर रखा गया हो या उसने सरकार से ग्रहण कर लिया हो।

यदि सोसायटी के विघटन पर, ऋण की तुष्टि के पश्चात् न्यास की सम्पत्ति से अन्यथा भी कोई संपत्ति रह जायगी, तो उसको ऐसे पूर्व अथवा शैक्षिक उद्देश्यों में उपयोग में लाया या व्ययनित किया जाएगा जिन्हें सोसायटी के सदस्य, इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई विशेष साधारण बैठक में अवधारित करें।

३१–(क) सोसायटी की ओर से सभी वाद अथवा कार्रवाइयाँ सोसायटी के नाम से संस्थित की जाएगी और सोसायटी की ओर से कार्रवाई करने और उपसंजात होने के लिए, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही के संस्थित और प्रतिरक्षा करने के लिए विधि व्यवसायी नियुक्त करने, वादपत्र पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिए, सचिव प्राधिकृत है, लिखित कथन; याचिका और अन्य कागजात जिसके हस्ताक्षरित होने या सत्यापित होने की विधि द्वारा अपेक्षा हो या हो सकती हो, और साधारणतया अभियोजन या उसकी प्रतिरक्षा में, जैसा आवश्यक हो, उपरोक्त सभी या किन्हीं कृत्यों के बारे में, कार्रवाइयाँ करेगा।

(ख) कार्यकारिणी समिति की अनुज्ञा से सचिव, किसी व्यक्ति को भी, मुख्तारनामे के द्वारा अभिकर्ता के रूप में, उपरोक्त किन्हीं कार्रवाइयों को करने के लिए और ऐसे कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए जो उस पर इस नियम के अन्तर्गत अधिरोपित किए जायें, नियुक्त कर सकेगा।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद

३२– शासन आदेश सं० २७६२/१५–१३–६१–४ (४६)/६१ दिनांक ३०–११–६१ द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध (क) से (ज) क्रम संख्या १ से ८ तक सोसायटी को उसके द्वारा संचालित टैगोर पब्लिक स्कूल के संचालन हेतु मान्य होंगे।

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम१० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगी।

(ड.) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमान्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उसका पालन करेंगी।

(ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

३३– इसमें अन्तर्विष्ट नियम, जब भी आवश्यक हो, सोसायटी की उस प्रोयजन के लिए बुलाई जाने वाली विशेष बैठक में रद्द परिवर्धित या उपांतरित किये जा सकेंगे।

"सारस्वत खत्री पाठशाला अतरसुईया, इलाहाबाद अभिनाम की सोसायटी की सर्वसाधारण की विशेष सभा में जो प्रस्ताव तारीख ०६–०५–२००० को प्रस्तावित किया गया तथा ०३–०६–२००१ को सर्वसाधारण की विशेष सभा में पुष्टि की गयी, के संशोधित नियमों और विनियमों को सही प्रति के रूप में सत्यपित।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
25-6-2001

परिभाषा

"सोसायटी" "पद से" सारस्वत खत्री पाठशाला, इलाहाबाद, जो १९६० के अधिनियम सं० २१ के अन्तर्गत उस नाम से पंजीकृत निकाय है, अभिप्रेत है "न्याय-विलेख" या "न्यास" पद से, लाला सदनलाल खन्ना द्वारा १५-१-१९२२ को निष्पादित और १६-१-१९२२ को रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख अभिप्रेत है।

संगम-ज्ञापन

१- सोसायटी का नाम सारस्वत खत्री पाठशाला, इलाहाबाद होगा।

२- सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) नैतिक और आध्यात्मिकता, वाणिज्यिक, तकनीकी, सामान्य और वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करना।

(ख) इलाहाबाद के लाला सदन लाल खन्ना द्वारा १५ जनवरी १९२२ को निष्पादित और १६ जनवरी, १९२२ को रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के अन्तर्गत स्थापित अपनी संपत्तियों के साथ-साथ अपने नियंत्रणाधीन संस्थाओं और इससे पूर्व या इसके पश्चात् सोसायटी को दिये गये दान अथवा उसके द्वारा अर्जित संपत्तियों का वित्तपोषण करना, उन्नत करना, पर्यवेक्षण करना और प्रबन्ध करना।

(ग) सोसायटी द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संस्थाओं के सुपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति, किताबें और अन्य सहायता देकर मदद करना।

संगम-ज्ञापन (मेमोरंडम आफ एसोसिएशन) जो तारीख १०-५-१९८७ को हुई सोसायटी की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तावित किया गया तथा २४-५-८७ को सर्व साधारण सभा में प्रस्तावित किया गया, और जिसकी पुष्टि सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत सोसायटी रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत सारस्वत खत्री पाठशाला, इलाहाबाद के ता० १६-८-१९८७ को अनुमोदित संगम-ज्ञापन के रूप में हुई है, की प्रतिलिपि।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज़ एवं चिट्स
इलाहाबाद